संख्या– 1811(1)/x–2–2005–12(31)/2005

प्रेषक,

किशन नाथ
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन
उत्तरांचल, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 26 जून, 2005

विषयः– आयोजनागत पक्ष की "टी.एच.डी.सी. वित्त पोषित योजना" की आवश्यक मदों में वर्ष 2005–06 के द्वितीय त्रैमास की वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–नि0349 वै0स0/35–1–बी दिनांक 17 मई, 2005 एवं वित्त अनुभाग–1 की पत्र संख्या–527ए/सत्ताईस(1)/2005, दिनांक 26.04.2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वन विभाग के आयोजनागत पक्ष में विषयक योजना के लिए कोषागार मदों में रू0 3,62,000/– तथा साख सीमा मदों में रू0 3,01,00,000/– कुल रू0 3,04,62,000/– (रू0 तीन करोड़ चार लाख बासठ हजार) मात्र की धनराशि संलग्नकानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

1. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण करने से पूर्व यह सुनिश्चत किया जाना होगा कि गत वित्तीय वर्ष 2004–05 में स्वीकृत धनराशि की पूर्ण प्रतिपूर्ति टी.एच.डी.सी. द्वारा कर दी गयी है.
2. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए किया जाय. साख सीमा के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि उल्लिखित मदों के अन्तर्गत वास्तविक व्यय किये जाने के पूर्व किए जाने वाले कार्यो/माइक्रोप्लान पर शासन को अनुमोदन पृथक से प्राप्त कर लिया जायेगा.
3. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाय तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
4. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.
5. क्षेत्र की योजनाओं के सापेक्ष आवंटन अपने स्तर से किया जाय.
6. धनराशि का आहरण यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
8. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय.
9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखा शीर्षक की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नाम में डाला जायेगा.
10. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या – 331/सत्ताईस (2)/2005 दिनांक 16 जून, 2005 में दी गयी सहमति से जारी किया जा रहा है.

भवदीय
/
(किशन नाथ)
अपर सचिव

buduje†

संख्या- 1811(2)/x-2-2005, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून.
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, नैनीताल.
3. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन.
4. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन.
5. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन.
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल.
8. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून.
9. बजट निदेशालय, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून.
10. गार्ड फाईल.

संलग्नक: यथोपरि.

आज्ञा से

(किशन नाथ)

अपर सचिव

budujet

शासनादेश संख्या–1811(1)/X–2–2005–12(31)/2005 दिनांक 25 जून, 2005 का संलग्नक

वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तरांचल के अनुदान संख्या–27 के आयोजनागत पक्ष की "टी.एच.डी.सी. वित्त पोषित योजना" की आवश्यक मदों में वर्ष 2005–06 के द्वितीय त्रैमास की वित्तीय स्वीकृतिः–

(धनराशि– हजार रू0 में)

क्रम सं0	योजना का नाम/लेखा शीर्षक	मानक मद	मद प्रकार	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
	राजस्व लेखा...अनुदान संख्या–27 2406–वानिकी तथा वन्य जीवन 01– वानिकी 800– अन्य व्यय 11–टी.एच.डी.सी. सहायतित योजना 11–01–टी.एच.डी.सी. द्वारा वित्त पोषित योजना		कोषागार	
		01–वेतन		258
		03–महंगाई भत्ता		78
		06–अन्य भत्ते		26
			योग	362
			साख सीमा	
		24–वृहत निर्माण		14000
		25–लघु निर्माण		2000
		26–मशीन साज सज्जा/उपकरण एवं संयत्र		1100
		29–अनुरक्षण		13000
			योग	30100
	योजना का कुल योग			30462

(रू0 तीन करोड़ चार लाख बासठ हजार मात्र)

(किशन नाथ)
अपर सचिव

buduject